फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रावता	मनरूपाराम वगैरह	

अपील संख्या 23 /2023

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2022 बउनवान मनरूपाराम बनाम अकाराम आदि मे पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 114 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है एवं रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है, जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.04.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने के पश्चात आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " **3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability"** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में रेकर्डेड एवं सहखातेदार है। एवं जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2022 बउनवान मनरूपाराम बनाम अकाराम आदि मे पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2022 बउनवान मनरूपाराम बनाम अकाराम आदि के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली